


कार्यालय उप जिलाधिकारी, मथुरा  
संख्या 534 / आशु0लि0 / 2025 दिनांक-12 अगस्त, 2025

सचिव  
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण  
मथुरा।

विषय ग्राम -जुल्हैदी व कोन्हई के खसरा नम्बरों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्राक संख्या 191 / मा0अनु0 / म0वृ0वि0प्रा0 / 2025-26 दिनांक 17.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में इंपैक्टम लैंडस प्रा0लि0 द्वारा मौजा जुल्हैदी में कय की गई भूमि की जांच तहसीलदार मथुरा द्वारा की गई। स्वामित्व जांच मय आवश्यक अभिलेख / सारणी के साथ मूल रूप में यथा संतुति सहित प्रेषित।



(अभिनव जे0 जैन)  
ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी,  
मथुरा

## उपजिलाधिकारी महोदय


सदर, मथुरा

संलग्न पत्र मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा पत्रांक 191/मा0अनु 0/म0वृं0वि0प्रा0/2024- 2025 दिनांक 17.04.2025 पर पारित आपके आदेश के अनुपालन में संलग्न खतौनी एवं बैनामा ग्राम जुल्हेंदी कोहनई से संबंधित है। संलग्न समस्त अभिलेखों का मिलान किया इंपैक्टम लेंड्स द्वारा टाउनशिप नीति 2023 के नियमों के अंतर्गत मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा से विधिक लाइसेंस / राजस्व संहिता की धारा 89 (2) के तहत विधिक अनुमति शासन से प्राप्त कर ली गयी है। सरकार एवं शासन की नीति के अनुरूप निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजना हेतु क्रमशः गाटा संख्या 63 व 66 व 67 व 68 69 व 70 व 87/1, 87/2 87मि व 89 व 90 व 91 व 93/1 क मौजा जुल्हेंदी एवं गाटा संख्या 795 व 786 मौजा कोहनई के गाटाओं का मिलान सी. एच. 41 एवं 45 से किए जाने उपरान्त भूमि आरक्षित श्रेणी की नहीं है। पत्र के क्रम में उपरोक्त गाटा में 23.817 हेक्टेयर श्रेणी 1(क) की भूमि का स्वामित्व सत्यापन दिनांक 05.05.2025 को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा को सत्यापित कर आख्या भेजी जा चुकी है। योजना विकास कर्ता इंपैक्टम लेंड्स प्रा लि द्वारा अवशेष भूमि का क्रय खातेदारों से निम्न प्रकार प्राप्त किया गया है। इंपैक्टम लेंड्स प्रा लि के द्वारा पूर्व स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त खसरा संख्या 69 व 70 व 90/1 व 90/2 में बैनामा से भूमि क्रय विवरण संलग्न सारणी में उल्लिखित किया गया है। कार्य योजना के मध्य ग्राम सभा विनिमय योग्य भूमि के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुरूप राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की प्रक्रिया न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर, मथुरा के समक्ष अनुमोदन / स्वीकृति हेतु प्रक्रिया अन्तर्गत है। स्वामित्व सत्यापन सारणी / तालिका क्रमशः संलग्न है।

1. संलग्न बैनामा गाटा संख्या 69 कुल क्षेत्र 1.914 हेक्टेयर में से 1.6276 हेक्टेयर का स्वामित्व सत्यापन हो चुका है एवं संलग्न बैनामा अनुसार 0.2100 हेक्टेयर का अतिरिक्त स्वामित्व प्राप्त किया गया है।
2. संलग्न बैनामा गाटा संख्या 70 कुल क्षेत्र 3.426 हेक्टेयर में से 2.0101 हेक्टेयर का स्वामित्व सत्यापन हो चुका है एवं संलग्न बैनामा अनुसार 0.1425 हेक्टेयर का अतिरिक्त स्वामित्व प्राप्त किया गया है।


3. संलग्न बैनामा गाटा संख्या 90/1 कुल क्षेत्र 0.1740 एवं 90/2 क्षेत्र 0.1740 हेक्टेयर कुल 0.3480 हेक्टेयर का स्वामित्व संलग्न बैनामा अनुसार प्राप्त किया गया है।

अतः इंपेक्टम लैंड्स प्रा०लि० द्वारा संलग्न तालिका अनुसार कुल क्रय से 0.700 हेक्टेयर भूमि को प्राप्त किया गया है। स्वामित्व सत्यापन आख्या मय अभिलेख सी.एच.41 व 45 एवं बैनामा की छाया प्रति नकल खतौनी संलग्न कर इंपेक्टम लैंड्स प्रा०लि० का सत्यापित होने उपरान्त आख्या महोदय की सेवा में द्वारा अचित माध्यम कार्यालय मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सादर प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित है।

  
24/6/25  
(राजेश कुमार)


महोदय

कृष्णपाल आख्या संप्रदाय

  
25/6/25

महोदय

ऑन क्राईजरी सत्यापन  
आख्या लाइट प्रेषित



23/07/25

750